न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर

बइजलास दिव्या RAS

वादपत्र सं. 137/2025

अनुवान किशनलाल वगैरा बनाम मुरलीधर वगैरा

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955

एवं धारा 131, 136 राज.भू.रा. अधि 1956

निर्णय दिनांक 02/7/25

1. किशनलाल पुत्र शंकरलाल जाति जांगिड़ निवासी वार्ड नं0 47, सरदारशहर जिला चूरू
2. जयकिशन पुत्र शंकरलाल जाति जांगिड़ निवासी वार्ड नं0 47, सरदारशहर जिला चूरू
3. प्रेमचन्द पुत्र शंकरलाल जाति जांगिड़ निवासी वार्ड नं0 47, सरदारशहर जिला चूरू

—वादीगण

बनाम्

1. मुरलीधर पुत्र कोडाराम जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं0 9, सरदारशहर जिला चूरू
2. माणकचन्द पुत्र स्व0 मूलाराम जाति खाती निवासी वार्ड नं0 9, सरदारशहर जिला चूरू
3. लालचन्द पुत्र स्व0 मूलाराम जाति खाती निवासी वार्ड नं0 9, सरदारशहर जिला चूरू
4. हुलासचन्द पुत्र स्व0 मूलाराम जाति खाती निवासी वार्ड नं0 9, सरदारशहर जिला चूरू
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सरदारशहर जिला चूरू

—प्रतिवादीगण

उपस्थिति –

1. श्री महेन्द्र कुमार सींवर, श्री आदेश सींवर विद्वान अधिवक्ता वास्ते वादीगण
2. श्री ओमप्रकाश बेनीवाल विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4
3. पैरोकार राज वास्ते प्रतिवादी सं0 5

निर्णय

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का विवरण इस प्रकार से है कि वादीगण की सह खातेदारी कृषि भूमि ख0 नं0 102 रकबा 1.4100 हैक्टेयर व ख0नं0 103 रकबा 6.1900 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर में स्थित है। जिसमें वादीगण का प्रत्येक 1/3 हिस्सा है। वादीगण के खेत ख0 नं0 102 रकबा 1.4100 हैक्टेयर व ख0नं0 103 रकबा 6.1900 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर के चिपता उतरी तरफ का खेत ख0नं0 99 रकबा 6.2000 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर प्रतिवादी सं0 1 का है तथा प्रतिवादी सं0 1 के खेत ख0नं0 99 के पश्चिमी तरफ का चिपता खेत ख0नं0 100 रकबा 3.9300 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर भी प्रतिवादी सं0 1 का है। वादीगण के खेत ख0नं0 103 व 102 के पश्चिमी तरफ का चिपता खेत ख0नं0 101 रकबा 2.5400 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का है। इसी अनुरूप मौके पर पक्षकारान वाद का कब्जा काश्त चला आ रहा है और मौके पर धड़ाबन्द सींवे बनी हुई है। पक्षकारान वाद के खेतों के वर्तमान नक्शे मौके एवं कब्जा काश्त के विपरीत तरमीम है। राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के खेतों की अशुद्ध

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

आकृति व संरचना नीचे प्रदर्शित नक्शा 'ए' के अनुसार है जबकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के खेतों की मौके अनुसार सही आकृति व संरचना नीचे प्रदर्शित नक्शा 'बी' के अनुसार है :–

नक्शा 'ए' राजस्व रिकॉर्ड में गलत तरमीम नक्शा

नक्शा 'बी' मौके की कब्जा के अनुसार सही नक्शा

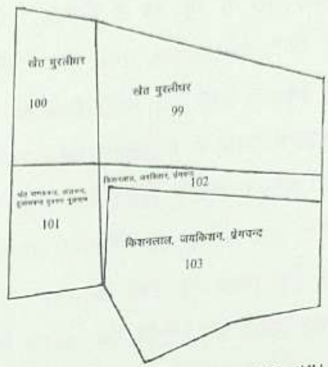

वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 अपने–अपने खेतों को दावा की मद सं0 2 में बने नक्शा 'बी' के अनुसार काबिज होकर काश्त करते हैं। मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के खेतों की आकृति व संरचना मौके पर नक्शा 'बी' के अनुसार बनी हुई है। सेटलमेंट के कर्मचारियों ने दौराने सेटलमेंट संवत 2072–92 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के खेतों को मौके एवं कब्जा काश्त के विपरीत दावा की मद सं0 2 में बने नक्शा 'ए' के अनुसार गलत तरमीम कर दिया। जबकि बन्दोंबस्त के कर्मचारियों को मौका व कब्जा काश्त के विपरीत नक्शा तैयार करने का हक एवं अधिकार नहीं था। बन्दोबस्त के कर्मचारियों ने दौराने बन्दोबस्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के खेतों की आकृति व संरचना गलत बनाते हुए गलत रूप से नक्शे राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा 'ए' के अनुसार तरमीम कर दिये जबकि उन्हें नक्शा 'बी' के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 का नक्शा तरमीम करना चाहिये था। सेटलमेंट के कर्मचारियों को दौराने सैटलमेंट राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों को तथा नक्शों को मौके पर बनी आकृति/संरचना के अनुरूप ही नक्शा में तरमीम किये जाने का अधिकार है। जबकि सैटलमेंट के कर्मचारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वादीगण को सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही वादीगण के खेत ख.नं. 102 रकबा 1.4100 हैक्टेयर व ख0नं0 103 रकबा 6.1900 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर के खेत की आकृति मौके से भिन्न तरमीम कर दी तथा प्रतिवादी सं0 1 के खेत ख0नं0 99 रकबा 6.2000 हैक्टेयर एवं खेत ख0नं0 100 रकबा 3.9300 हैक्टेयर तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के खेत ख0नं0 101 रकबा 2.5400 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर के खेतों की आकृति व संरचना मौके से विपरीत तरमीम कर देने से अनावश्यक विवाद पैदा हो गया। वादीगण के तथ्यों की पुष्टि गुगल मैप से होती है। वादीगण दावा की मद सं0 2 में प्रदर्शित किये गये नक्शा 'बी' के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा दुरूस्त करवाने की घोषणा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड नक्शा दुरूस्त करवाने के कानूनन अधिकारी है जिसके लिए यह दावा श्रीमान जी के समक्ष पेश किया जा रहा है। प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के पिता मूलाराम पुत्र तुलछाराम का स्वर्गवास हो गया है। प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के पिता ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी के 2 ता 4 के हक में अपने नाम की खातेदारी कृषि भूमि की पंजीकृत वसीयत दिनांक 22.10.2013 को निष्पादित की थी। उक्त भूमि प्रतिवादी सं0 2 ता 4 ही काश्त करते हैं। इसलिए प्रतिवादी सं0 2 ता 4 को पक्षकार बनाकर हस्तगत वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

हस्तगत वाद नक्शा दुरूस्ती के सम्बन्ध में है। प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के पिता के नाम की खातेदारी कृषि भूमि की घोषणा के सम्बन्ध में नहीं है। वादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड की नकले हासिल कर प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 से सम्पर्क किया और उन्हें खेतों के बने गलत नक्शा को दूरूस्त करवाने के लिए तहसील कार्यालय सरदारशहर साथ चलने को कहा तो प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने कहा कि हमारे खेत मौके पर जिस आकृति में बने हुए है उस आकृति में राजस्व कर्मचारियों को रिकॉर्ड में अपने आप तरमीम करना होगा अन्यथा जब कभी गांव में कैम्प लगेगा तब राजस्व कर्मचारियों से बात कर लेंगे ऐसा कहते हुए साथ चलकर रिकॉर्ड दूरूस्त करवाने से दिनांक 17.05.2025 को रोही सवाई बास बलवानिया में स्पष्ट इनकार कर दिया। जिस पर वादीगण राजस्व रिकॉर्ड नक्शा की नकले लेकर नक्शा दुरूस्त करवाने के लिए दिनांक 18.05.2025 को तहसील कार्यालय सरदारशहर प्रतिवादी सं0 5 के पास गये तब प्रतिवादी सं0 5 द्वारा मामला अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का होने का कहते हुए राजस्व रिकॉर्ड नक्शा दुरूस्त करने से दिनांक 18.05.2025 को इनकार कर दिया। इस प्रकार प्रतिवादी सं0 5 द्वारा इन्कार करने से दावा प्रस्तुत करने का कारण व दावा प्रस्तुत का हैतुक वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि होने से है। प्रतिवादी सं0 5 तहसीलदार सरदारशहर को पक्षकार वाद बनाए जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु उनसे किसी प्रकार का नुकसानदेह अनुतोष नहीं चाहा गया है। दावा डिक्री होने की सूरत में उनके द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा तरमीम किया जाना है। इसलिए उनको बिना 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिए ही पक्षकार दावा बनाया गया है। वादगत कृषि भूमि रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर में स्थित होने से दावा हाजा को सुनवाई क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार श्रीमान् को हासिल है। दावा वादीगण उचित न्याय शुल्क पर हर प्रकार से अन्दर मियाद पेश है। वादीगण ने अनुतोष चाहा कि घोषित किया जावे कि वादीगण के खेत ख.नं. 102 रकबा 1.4100 हैक्टेयर व ख0नं0 103 रकबा 6.1900 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर एवं प्रतिवादी सं0 1 के खेत ख0 नं0 99 रकबा 6.2000 हैक्टेयर एवं खेत ख.नं. 100 रकबा 3.9300 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के खेत ख0नं0 101 रकबा 2.5400 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर के खेतों की आकृतियां व संरचनाएं दावा की मद सं0 2 के नक्शा 'बी' में प्रदर्शितानुसार तरमीम कर खसरा नम्बर एवं रकबा तथा रहन को यथावत रखते हुए राजस्व रिकॉर्ड नक्शा को दूरूस्त किया जावे। अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादीगण हो अथवा दौराने सुनवाई वाद हो जावे वो भी प्रदान किया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

वाद पत्र सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सशुल्क तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 की ओर से श्री ओमप्रकाश बेनीवाल एडवोकेट ने वकालतनामा एवं राजीनामा पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। राजीनामा के अनुसार :–

वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के खेतों के नक्शे वर्तमान में गलत तरमीम है। वादीगण के खेत ख0 नं0 102 रकबा 1.4100 हैक्टेयर व ख0नं0 103 रकबा 6.1900 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर के चिपता उतरी तरफ का खेत ख0नं0 99 रकबा 6.2000 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर प्रतिवादी सं0 1 का है तथा प्रतिवादी सं0 1 के खेत ख0नं0 99 के पश्चिमी तरफ का चिपता खेत ख0नं0 100 रकबा 3.9300 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर भी प्रतिवादी सं0

अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

1 का है। वादीगण के खेत ख0नं0 103 व 102 के पश्चिमी तरफ का चिपता खेत ख0नं0 101 रकबा 2.5400 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का है। इसी अनुरूप मौके पर पक्षकारान वाद का कब्जा काश्त चला आ रहा है और मौके पर धड़ाबन्द सींवे बनी हुई है। उसके विपरित वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के खेतों को वर्तमान में हुए बन्दोबस्त के दौरान बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने नक्शा तरमीम कर दिया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 अपने–अपने खेतों को दावा की मद सं0 2 में बने नक्शा 'बी' के अनुसार काबिज होकर काश्त करते हैं। मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के खेतों की आकृति व संरचना मौके पर नक्शा 'बी' के अनुसार बनी हुई है। इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 अपने खेतों के नक्शे तरमीम करवाना चाहते है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है और प्रकरण का निस्तारण राजीनामा से करवाना चाहते हैं और निवेदन किया कि दावा के अनुतोष की उपमद 'क' के अनुसार वादीगण के खेत ख.नं. 102 रकबा 1.4100 हैक्टेयर व ख0नं0 103 रकबा 6.1900 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर एवं प्रतिवादी सं0 1 के खेत ख0 नं0 99 रकबा 6.2000 हैक्टेयर एवं खेत ख.नं. 100 रकबा 3.9300 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के खेत ख0नं0 101 रकबा 2.5400 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर के खेतों की आकृतियां व संरचनाएं दावा की मद सं0 2 के नक्शा 'बी' में प्रदर्शितानुसार तरमीम कर खसरा नम्बर एवं रकबा तथा रहन को यथावत रखते हुए राजस्व रिकॉर्ड नक्शा को दूरूस्त किया जावे।

प्रतिवादी सं0 5 पैरोकार राज द्वारा जबाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वादीगण के दावा को स्वीकार किये जाने पर कोई आपति नहीं है। वादीगण के दावा का कोई खण्डन नहीं होने पर तनकी विरचित नहीं की गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने बहस की इस्तदुआ चाही।

बहस वकुलाय सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने दौराने बहस दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए न्यायालय का ध्यान दावा के साथ प्रस्तुत किये गये राजस्व अभिलेख की ओर दिलाया गया कि वादीगण के खेत ख0 नं0 102 रकबा 1.4100 हैक्टेयर व ख0नं0 103 रकबा 6.1900 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर के चिपता उतरी तरफ का खेत ख0नं0 99 रकबा 6.2000 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर प्रतिवादी सं0 1 का है तथा प्रतिवादी सं0 1 के खेत ख0नं0 99 के पश्चिमी तरफ का चिपता खेत ख0नं0 100 रकबा 3.9300 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर भी प्रतिवादी सं0 1 का है। वादीगण के खेत ख0नं0 103 व 102 के पश्चिमी तरफ का चिपता खेत ख0नं0 101 रकबा 2.5400 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का है। इसी अनुरूप मौके पर पक्षकारान वाद का कब्जा काश्त चला आ रहा है और मौके पर धड़ाबन्द सींवे बनी हुई है। उसके विपरित वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के खेतों को वर्तमान में हुए बन्दोबस्त के दौरान बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने नक्शा तरमीम कर दिया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 अपने–अपने खेतों को दावा की मद सं0 2 में बने नक्शा 'बी' के अनुसार काबिज होकर काश्त करते हैं। मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के खेतों की आकृति व संरचना मौके पर नक्शा 'बी' के अनुसार बनी हुई है। इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 अपने खेतों के नक्शे तरमीम करवाना

चाहते है। वादीगण का वाद पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख व वादीगण के तथ्यों का खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा नहीं किया गया है। वादीगसप के तथ्यों की पुष्टि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा से भी होती है और प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने भी वादीगण अधिवक्ता के तथ्यों का समर्थन किया। प्रकरण के विचारण में यह तथ्य उभर कर आया कि पक्षकारान वाद के खेत का नक्शा को मौके व कब्जा काश्त के विपरित बन्दोबस्त विभाग द्वारा तरमीम किया गया है। यह तथ्य अधिवक्ता वादीगण प्रमाणित करने में सफल रहे है और राजीनामा से वादी के तथ्यों की पुष्टि होती है।

वकील वादीगण के तर्कों का ध्यानपूर्वक मनन किया गया और पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया कि वादीगण के खेत ख.नं. 102 रकबा 1.4100 हैक्टेयर व ख0नं0 103 रकबा 6.1900 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर एवं प्रतिवादी सं0 1 के खेत ख0 नं0 99 रकबा 6.2000 हैक्टेयर एवं खेत ख.नं. 100 रकबा 3.9300 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के खेत ख0नं0 101 रकबा 2.5400 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर के खेतों की आकृतियां व संरचनाएं दावा की मद सं0 2 के नक्शा 'बी' में प्रदर्शितानुसार एवं निर्णय में प्रदर्शित नक्शा के अनुसार तरमीम कर खसरा नम्बर एवं रकबा तथा रहन को यथावत रखते हुए राजस्व रिकॉर्ड नक्शा को दूरूस्त किया जाना न्यायसंगत है। फलस्वरूप वादीगण वादगत कृषि भूमि के उपर वर्णित खसरों के नक्शों को दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।

आदेश

वाद वादीगण पुष्ट एवं प्रमाणित पाया गया है फलस्वरूप डिक्री किया जाकर तहसीलदार सरदारशहर को आदेशित किया जाता है कि वादीगण के खेत ख.नं. 102 रकबा 1.4100 हैक्टेयर व ख0नं0 103 रकबा 6.1900 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर एवं प्रतिवादी सं0 1 के खेत ख0 नं0 99 रकबा 6.2000 हैक्टेयर एवं खेत ख.नं. 100 रकबा 3.9300 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के खेत ख0नं0 101 रकबा 2.5400 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर के खेतों की आकृतियां व संरचनाएं दावा की मद सं0 2 के नक्शा 'बी' में प्रदर्शितानुसार तरमीम कर खसरा नम्बर एवं रकबा तथा रहन को यथावत रखते हुए राजस्व रिकॉर्ड नक्शा को दूरूस्त किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(दिव्या) आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 2/7/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या) आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल–47 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix D-1)
बइजलास दिव्या RAS
वादपत्र सं.137 / 2025

अनुवान किशनलाल वगैरा बनाम मुरलीधर वगैरा

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 एवं धारा 131, 136 राज.भू.रा. अधि 1956

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालकतई रू ब रू ......उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर हाजरी **श्री महेन्द्र कुमार सीवंर, आदेश सींवर,** मिनजानिब मुद्दई **श्री ओमप्रकाश बेनीवाल, तहसीलदार सरदारशहर**...................मिनजानिबमुद्दायल पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादीगण के खेत ख.नं. 102 रकबा 1.4100 हैक्टेयर व ख0नं0 103 रकबा 6.1900 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर एवं प्रतिवादी सं0 1 के खेत ख0 नं0 99 रकबा 6.2000 हैक्टेयर एवं खेत ख.नं. 100 रकबा 3.9300 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के खेत ख0नं0 101 रकबा 2.5400 हैक्टेयर रोही सवाई बास बलवानिया तहसील सरदारशहर के खेतों की आकृतियां व संरचनाएं दावा की मद सं0 2 के नक्शा 'बी' में प्रदर्शितानुसार तरमीम कर खसरा नम्बर एवं रकबा तथा रहन को यथावत रखते हुए राजस्व रिकॉर्ड नक्शा को दूरूस्त किया जावे।

....बीज ....मुबलिग ....बाबत ....
.... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह ....
फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूल नगदी रू.......................................का अदा करें।
मेरे दस्तखत मुहर अदालत से आज तारीख ....02..........माह 07/2025 को जारी की गई है।

दस्तखत ....
ओहदा ....

मुहर

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	04	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	महनताना वकील	00	00
महनताना वकील	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	मुतफर्रिक	00	00
मुतफर्रिक	02	00			
मीजान	07	00	मीजान	04	00

नोटः– इस खर्चे के फॉर्म दर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया दो या नहीं, दर्ज करना चाहिये।